

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री रघुनन्दन सिंह यादव, तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल कोडरमा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5130 दिनांक- 30.09.2015 सह पठित ज्ञापांक- 6049 दिनांक- 10.12.2015 द्वारा सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित थे :-

(i) योजना सं०- 58/2011 (बारा आहर गहरीकरण योजना) का पर्यवेक्षण कार्य सही तरीके से नहीं किया गया।

(ii) बिना सही प्राक्कलन एवं एकरारनामा किये गये मद में बिना सीमांकन स्वीकृत्यादेश के मापीपुस्त में अंकित की गयी।

(iii) अंचल अधिकारी, सतगाँवा कोडरमा के सीमांकन स्वीकृत्यादेश के बिना ही गहरीकरण की प्रक्रिया रैयती जमीन पर किया गया।

(iv) गहरीकरण कार्य के पूर्व रैयत को इसकी सूचना नहीं दी गई और रैयत खतियान श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा (परिवादी) की निजी भूभाग (खाता नं०-9 प्लॉट नं०-64 रकवा 20 एकड़) की गहरीकरण के कारण क्षति हुई।

(v) मिट्टी कटाव (Sail erosion) से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गयी। मिट्टी कटाव के कारण परिवादी का रैयती खतियानी भूभाग का बड़ा क्षेत्र सरकारी आहर में अब शामिल हो गया है।

(vi) आपके द्वारा सरकारी कार्य में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गयी जिससे सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ और योजना सं०- 58/2011 असफल हुई।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया। परन्तु समीक्षा के क्रम में प्राक्कलन में Initial lead का प्रावधान नहीं होने के बावजूद मापीपुस्त में भुगतान हेतु दर्ज मापी की जाँच नहीं करने, प्राक्कलन की त्रुटि, कार्य के पूर्व रैयतों से अनापत्ति नहीं लेने तथा सही चिन्हितीकरण नहीं होने के कारण रैयती जमीन का लगभग 20 डिसमील जमीन का कटाई से आहर में मिल जाने के लिए आंशिक रूप से दोषी पाया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त उक्त कृत्य के लिए श्री रघुनन्दन सिंह यादव, कार्यपालक अभियंता के विभागीय पत्रांक- 5576 दिनांक- 13.12.2016 द्वारा निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गयी :-

(क) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।



3. श्री यादव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की पुनः समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री यादव द्वारा अपने बचाव बयान में पूर्व के तथ्यों को ही दुहराया गया है, कोई नया तथ्य/साक्ष्य नहीं दिया गया है। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री यादव के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

4. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निवारण कोषांग), झारखण्ड, राँची /संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल कोडरमा/श्री रघुनन्दन सिंह यादव, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल बरही हजारीबाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :2662.....राँची/दिनांक14-06-17.....

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची /वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


14.6.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव